रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112026-278156
CG-DL-E-24112026-278156

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6113] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2026/अग्रहायण 2, 1948
No. 6113] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2026/AGRAHAYANA 2, 1948

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2026

का.आ. 6353(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता तथा मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया) नियम, 2017 के नियम 10 के उप-नियम (5) के साथ पठित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् से परामर्श के बाद उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची में डिग्री उप-शीर्षक के अंतर्गत,-

(i) क्रम संख्या 75 में,-

(क) स्तम्भ संख्या (3) में मद संख्या (iii) के सामने, क्रम संख्या 2 से संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तम्भ संख्या (3) में, मद संख्या (iv) के सामने, "17 दिसंबर, 2014" शब्दों, अंकों और अक्षरों के बाद, "और 19 जुलाई, 2027 को या उससे पहले" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) स्तम्भ संख्या (3) में, मद संख्या (v) के सामने, "15 दिसंबर, 2014" शब्दों, अंकों और अक्षरों के बाद, "और 19 जुलाई, 2027 को या उससे पहले" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) स्तम्भ संख्या (3) में, मद संख्या (vii) के सामने, "31 अगस्त, 2020" शब्दों, अंकों और अक्षरों के बाद, "और 19 जुलाई, 2027 को या उससे पहले" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ) स्तम्भ संख्या (3) में, मद संख्या (viii) के सामने, "1 मार्च, 2023" शब्दों, अंकों और अक्षरों के बाद, "और 19 जुलाई, 2027 को या उससे पहले" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(च) मद संख्या (x) और (xi) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

विश्वविद्यालय अथवा पशु चिकित्सा संस्थान	मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता	पंजीकरण का संक्षिप्त नाम
(1)	(2)	(3)
97. राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, (जोबनेर), जयपुर		
(i) स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान, जयपुर	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में स्नातक	बी.वी.एससी. एंड ए.एच. [यह अर्हता केवल तब पशु चिकित्सा अर्हता के रूप में मान्यता प्राप्त होगी जब यह 20 जुलाई, 2027 को या उसके बाद प्रदान की गई हो]
(ii) अपोलो पशु चिकित्सा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक	बी.वी.एससी. एंड ए.एच. [यह अर्हता केवल तब पशु चिकित्सा अर्हता के रूप में मान्यता प्राप्त होगी जब यह 20 जुलाई, 2027 को या उसके बाद प्रदान की गई हो]
(iii) अरावली पशु चिकित्सा महाविद्यालय, सीकर	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक	बी.वी.एससी. एंड ए.एच. [यह अर्हता केवल तब पशु चिकित्सा अर्हता के रूप में मान्यता प्राप्त होगी जब यह 20 जुलाई, 2027 को या उसके बाद प्रदान की गई हो]

(iv) महात्मा ज्योतिबा फूले पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, चोमू, जयपुर	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक	बी.वी.एससी. एंड ए.एच. [यह अर्हता केवल तब पशु चिकित्सा अर्हता के रूप में मान्यता प्राप्त होगी जब यह 20 जुलाई, 2027 को या उसके बाद प्रदान की गई हो]
(v) सौरभ पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, खेड़ा, हिंडौन सिटी, करौली (राजस्थान)	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक	बी.वी.एससी. एंड ए.एच. [यह अर्हता केवल तब पशु चिकित्सा अर्हता के रूप में मान्यता प्राप्त होगी जब यह 20 जुलाई, 2027 को या उसके बाद प्रदान की गई हो]
(vi) आर. आर. पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, देवली, राजस्थान	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक	बी.वी.एससी. एंड ए.एच. [यह अर्हता केवल तब पशु चिकित्सा अर्हता के रूप में मान्यता प्राप्त होगी जब यह 20 जुलाई, 2027 को या उसके बाद प्रदान की गई हो]
(vii) महात्मा गांधी पशु चिकित्सा महाविद्यालय, भरतपुर	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक	बी.वी.एससी. एंड ए.एच. [यह अर्हता केवल तब पशु चिकित्सा अर्हता के रूप में मान्यता प्राप्त होगी जब यह 20 जुलाई, 2027 को या उसके बाद प्रदान की गई हो]

[फा. सं. के-12052-9/7/2025-एलएच]

रामा शंकर सिन्हा, अपर सचिव

नोट: भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की पहली अनुसूची में अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित तारीख 29 अप्रैल, 2026 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2141(अ) के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2026

S.O. 6353(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), read with sub-rule (5) of rule 10 of the Veterinary Council of India (Procedure for recognition and de-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules, 2017, the Central Government, after consulting with the Veterinary Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely: —

In the First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984, under sub-heading DEGREE, —

(i) in serial number 75, —

(a) against item number (iii), in column number (3), the entries relating to serial number (ii) shall be omitted;

(b) against item number (iv), in column number (3), after the figures, letter and words "17th December, 2014", the words, figures and letter "and on or before the 19th July, 2027" shall be inserted;

(c) against item number (v), in column number (3), after the figures, letter and word "15th December, 2014", the words, figures and letter "and on or before the 19th July, 2027" shall be inserted;

(d) against item number (vii), in column number (3), after the figures, letter and word "31st August, 2020", the words, figures and letter "and on or before the 19th July, 2027" shall be inserted;

(e) against item number (viii), in column number (3), after the figures, letter and word "1st March, 2023", the words, figures and letter "and on or before the 19th July, 2027" shall be inserted;

(f) against item numbers (x) and (xi) and entries relating thereto shall be omitted;

(ii) after serial number 96 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: —

University or veterinary Institution	Recognised veterinary qualification	Abbreviation for registration
(1)	(2)	(3)
"97. Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences (Jobner), Jaipur		
(i) Post Graduate Institute of Veterinary Education and Research, Jaipur	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry	B.V.Sc. & A.H. (This qualification shall be a recognised veterinary qualification only when granted on or after the 20th July, 2027.)
(ii) Apollo College of Veterinary Medicine, Jaipur	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry	B.V.Sc. & A.H. (This qualification shall be a recognised veterinary qualification only when granted on or after the 20th July, 2027.)
(iii) Arawali Veterinary College, Sikar	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry	B.V.Sc. & A.H. (This qualification shall be a recognised veterinary qualification only when granted on or after the 20th July, 2027.)

(iv) Mahatma Jyotiba Fule College of Veterinary & Animal Science, Chomu, Jaipur	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry	B.V.Sc. & A.H. (This qualification shall be a recognised veterinary qualification only when granted on or after the 20th July, 2027.)
(v) Shourabh College of Veterinary Science, Kheda, Hindaun City, Karauli (Rajasthan)	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry	B.V.Sc. & A.H. (This qualification shall be a recognised veterinary qualification only when granted on or after the 20th July, 2027.)
(vi) R.R. College of Veterinary & Animal Science, Deoli, Rajasthan	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry	B.V.Sc. & A.H. (This qualification shall be a recognised veterinary qualification only when granted on or after the 20th July, 2027.)
(vii) Mahatma Gandhi Veterinary College, Bharatpur	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry	B.V.Sc. & A.H. (This qualification shall be a recognised veterinary qualification only when granted on or after the 20th July, 2027.)

[F. No. K-12052-9/7/2025-LH]

RAMA SHANKAR SINHA, Addl. Secy.

Note: The First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) was last amended *vide* notification number S.O.2141(E), dated the 29th April, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 29th April, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA